

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 फरवरी 2021—माघ 16, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 जनवरी 2021

क्रमांक एफ 5-3/2018/1 (एक).—राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 02-11-2020 से 09-11-2020 तक (8 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व दिनांक 01-11-2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. माननीय न्यायमूर्ति को दिनांक 01-12-2020 से 04-12-2020 तक (4 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व दिनांक 29-11-2020 तथा 30-11-2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 जनवरी 2021

क्रमांक एफ 5-4/2018/एक (1).—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 10 अगस्त, 2020 से 21 अगस्त 2020 (12 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व दिनांक 08-08-2020 तथा 09-08-2020 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 10-85/2020/वा.क.(आब.)/पांच(124).—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

सरल क्रमांक	कार्यालय का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)		सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
			कार्यालय का स्तर	समय सीमा			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आबकारी आयुक्त	लेबल/ब्राण्ड पंजीयन हेतु	निराकरण सीमा	34 दिवस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
2	आबकारी आयुक्त	पंजीयन हेतु प्रस्तुत लेबल/ब्राण्ड पर आपत्ति प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने की समय-सीमा	निराकरण सीमा	05 दिवस	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
3	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त द्वारा संबंधितों को सुनवाई हेतु आहूत करने की समय-सीमा	निराकरण सीमा	न्यायालयीन प्रक्रिया अनुसार	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)
4	आबकारी आयुक्त	सुनवाई पश्चात आदेश जारी किये जाने हेतु समय-सीमा	निराकरण सीमा	न्यायालयीन प्रक्रिया अनुसार	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त	सचिव (आबकारी)

2. उक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 06-02/2012/10-2.—छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) काष्ठ नियम, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 7 के उप-नियम (1) के शीर्षक “वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस” से संबंधित अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस निम्नानुसार होगी :—

1.	विनिर्माता, व्यापारी एवं उपभोक्ता	रु. 2000/-
2.	व्यापारी	
	(क) भवन निर्माण ठेकेदार	रु. 1500/-
	(ख) बढ़ई की दुकान, जो फर्नीचर के निर्माण में संबंधित है, जिसमें टर्नर, आर्टीसन सम्मिलित है.	रु. 500/-
	(ग) अन्य व्यापारी	रु. 2000/-
3.	वास्तविक उपभोक्ता	रु. 25/- ”

- नियम 9 के उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(4) वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस निम्नानुसार होगी :—

स. क्र.	अपेक्षित वार्षिक विक्रय	वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस
1.	10 घनमीटर	रु. 75/-
2.	10 से 50 घनमीटर	रु. 150/-
3.	50 से 100 घनमीटर	रु. 600/-
4.	100 घनमीटर से ऊपर	रु. 1200/- ”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 06-02/2012/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 06-02/2012/10-2, दिनांक 8-12-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

New Raipur, the 8th December 2020

No. F. 06-02-/2012/10-2.—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Van Upaj (Vyapar Viniyaman) Kashta Niyam, 1973, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 21 of the said Adhiniyam, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, —

1. For the Schedule relating to heading “Annual Registration Fee” of sub-rule (1) of rule 7, the following shall be substituted, namely :—

“Annual Registration Fee shall be as follows ,—

1.	Manufacturer, Trader and Consumer	Rs. 2000/-
2.	Trader	
	(a) House Construction Contractors	Rs. 1500/-
	(b) Shop of Carpenter which include Turner, Artisans, who are involved in the manufacture of Furniture	Rs. 500/-
	(c) Other Traders	Rs. 2000/-
3.	Real Consumer	Rs. 25/- ”

2. For sub-rule (4) of rule 9, the following shall be substituted, namely :—

“(4) The annual Registration Fee shall be as under,—

S. No.	Expected Annual Sale	Annual Registration Fee
1.	10 cubic metres	Rs. 75/-
2.	10 to 50 cubic metres	Rs. 150/-
3.	50 to 100 cubic metres	Rs. 600/-
4.	Above 100 cubic metres	Rs. 1200/-”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Principal Secretary.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 8-1/2017/10-2.—छत्तीसगढ़ राजपत्र, भाग-1 दिनांक 30 जनवरी, 2017 में स्थापित डिपों से इमारती लकड़ी/लकड़ी के कोयले की नीलामी में विक्रय शर्तों में विनियमित करने वाले नियम में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

14. (क) यदि बेची गई इमारती लकड़ी/कोयला डिपो नीलाम शर्त क्र. 2 (ख) (एक) के अनुसार मंजूरी की सूचना की तारीख से दो माह के भीतर डिपो से नहीं हटाया जाता तो वनमण्डलाधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान भाड़ा वसूल किया जावेगा :—

(1)	इमारती लकड़ी	—	राशि 3 रुपये प्रतिदिन प्रति घनमीटर
(2)	कोयला	—	राशि 3 रुपये प्रति बोरा प्रति माह

उपरोक्त भूमि भाड़ा के दरों आगामी आदेश तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि की जावेगी, मंजूरी की संसूचना की तारीख 10-12-2020 से दो महिने की अवधि समाप्ति के पश्चात् स्थान भाड़ा की संगणना की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 8-1/2017/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-1/2017/10-2, दिनांक 10-12-2020 राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 नवम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बरमुड़ा प.ह.नं. 26	1.031	कार्यपालन अभियंता, केलो परि- योजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

बेमेतरा, दिनांक 4 अगस्त 2020

क्रमांक/1258/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेरला	घोटमर्मा प.ह.नं. 01	0.30	अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेरला.	घोटमर्मा स्टापडेम योजना अंतर्गत प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेरला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव अनंत तायल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग**

सरगुजा, दिनांक 9 नवम्बर 2020

क्रमांक 01/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	नवापाराकला प.ह.नं. 10	0.060	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	नवानगर व्यपवर्तन योजना के उप नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 नवम्बर 2020

क्रमांक 02/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	नवानगर प.ह.नं. 10	0.135	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	नवानगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 नवम्बर 2020

क्रमांक 03/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	रकेली प.ह.नं. 42	0.037	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	नवानगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 नवम्बर 2020

क्रमांक 04/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	रकेली प.ह.नं. 42	2.612	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	घाघी व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 नवम्बर 2020

क्रमांक 05/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्डा	नागम प.ह.नं. 11	0.064	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	गंगोली व्यपवर्तन योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 नवम्बर 2020

क्रमांक 06/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	किरकिमा प.ह.नं. 10	0.704	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	गंगोली व्यपवर्तन योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 नवम्बर 2020

क्रमांक 07/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	चलगली प.ह.नं. 10	0.033	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	गंगोली व्यपवर्तन योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 नवम्बर 2020

क्रमांक 08/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	भेड़िया प.ह.नं. 09	0.827	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	सपड़ा व्यपवर्तन योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 नवम्बर 2020

क्रमांक 09/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	चितरपुर प.ह.नं. 09	2.745	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	बिछरी नाला व्यपवर्तन योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 नवम्बर 2020

क्रमांक 10/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	चितरपुर प.ह.नं. 09	4.547	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	बिछरी नाला व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 नवम्बर 2020

क्रमांक 11/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	रवई प.ह.नं. 08	1.347	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	बिछरी नाला व्यपवर्तन योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 9 नवम्बर 2020

क्रमांक 12/अ-82/2020-21.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	कोयलारी प.ह.नं. 10	0.534	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	बिछरी नाला व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 दिसम्बर 2020

क्रमांक 13/अ-82/2020-21.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा	खालपोंड़ी प.ह.नं. 26	46.039	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर जिला-रामानुजगंज (छ.ग.).	गागर फीडर जलाशय योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 27 अक्टूबर 2020

क्रमांक/6790/01/अ-82/भू-अर्जन/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदागांव	अं. चौकी	गोराटोला प.ह.नं. 21	0.469	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद जिला-बालोद (छ.ग.).	मोहड़ जलाशय परि-योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 अक्टूबर 2020

क्रमांक/6791/02/अ-82/भू-अर्जन/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदागांव	अं. चौकी	बहोरनभेड़ी प.ह.नं. 19	0.089	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद जिला-बालोद.	मोहड़ जलाशय परि-योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 अक्टूबर 2020

क्रमांक/6792/03/अ-82/भू-अर्जन/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	छछानपहरी प.ह.नं. 20	0.121	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद, जिला-बालोद.	मोहड़ जलाशय परि- योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 अक्टूबर 2020

क्रमांक/6793/04/अ-82/भू-अर्जन/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदागांव	अं. चौकी	आतरगांव प.ह.नं. 20	1.368	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद जिला-बालोद (छ.ग.).	मोहड़ जलाशय परि- योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 अक्टूबर 2020

क्रमांक/6794/05/अ-82/भू-अर्जन/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	मोहड़ प.ह.नं. 23	0.191	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद, जिला-बालोद.	मोहड़ जलाशय परि-योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 27 अक्टूबर 2020

क्रमांक/6795/06/अ-82/भू-अर्जन/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	मोहड़ प.ह.नं. 23	1.278	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद जिला-बालोद (छ.ग.).	मोहड़ जलाशय परि-योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टोपेश्वर वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

क्रमांक/9858/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	रामानुजगंज	त्रिशुली प.ह.नं. 01	1.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्र.-02, रामानुजगंज.	कन्हर अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना अमवार जिला सोनभद्र (उ.प्र.) एफ.टी.एल. से एम.डब्लु.एल. तक का डूब क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य की भूमि ग्राम- त्रिशुली.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

क्रमांक/9859/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	रामानुजगंज	झारा प.ह.नं. 01	1.77	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्र.-02, रामानुजगंज.	कन्हर अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना अमवार जिला सोनभद्र (उ.प्र.) एफ.टी.एल. से एम.डब्लु.एल. तक का डूब क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य की भूमि ग्राम- झारा.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 29 दिसम्बर 2020

क्रमांक/9860/भू-अर्जन/2020.—चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर- रामानुजगंज	रामानुजगंज	झारा प.ह.नं. 01	49.65	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्र.-02, रामानुजगंज.	कन्हार अन्तर्राज्यीय सिंचाई परियोजना अमवार जिला सोनभद्र (उ.प्र.) एफ.टी.एल. तक का डूब क्षेत्र (छ.ग.) राज्य की भूमि-ग्राम झारा.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सह अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्याम धावड़े, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 दिसम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2017-18.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-धरमजयगढ़
(ग) नगर/ग्राम-भालूपखना, प.ह.नं. 30
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.964 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
252	0.202
258	0.302
260	0.429
261	0.101
262	0.174

(1)	(2)
265	0.040
266	0.040
264	0.049
312	0.081
313	0.101
314	0.113
309	0.061
343	0.040
315	0.040
328	0.045
364	0.347
329	0.020
333	0.040
332	0.040
331	0.081
338	0.242
344	0.121
366	0.061
367	0.194
योग	24 2.964

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मेसर्स धनवादा एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. सिकंदराबाद द्वारा जल विद्युत परियोजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-गरियाबंद
(ख) तहसील-छुरा
(ग) नगर/ग्राम-तालेसर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.34 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

229	0.04
273	0.04
420/1	0.05
420/2	0.02
421/1	0.03
421/2	0.06
422/1	0.10

योग

07

0.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रानीडोंगरी जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-गरियाबंद
(ख) तहसील-छुरा
(ग) नगर/ग्राम-कोरासी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.51 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
		814	0.12
		817	0.01
239	0.06	818	0.13
240	0.05	819	0.12
241	0.10	820	0.10
242	0.06	834	0.24
243	0.04	835/1	0.08
247/1	0.20	835/2	0.08
		836	0.06
योग	06	839	0.20
		योग	15
			1.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पीपरछेड़ी जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-छुरा
- (ग) नगर/ग्राम-मडेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.91 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
600	0.20
601	0.16
602/1	0.24
812	0.12
813	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरासी व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-छुरा
- (ग) नगर/ग्राम-कोरासी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.86 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18	0.20
19	0.20
25	0.16
26	0.20

(1)	(2)	अनुसूची	
56	0.14	(1) भूमि का वर्णन-	
57	0.07	(क) जिला-गरियाबंद	
58	0.07	(ख) तहसील-छुरा	
59	0.06	(ग) नगर/ग्राम-खैरझिटी	
203	0.06	(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.66 हेक्टेयर	
69	0.14	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
69/417	0.25		
70	0.27	(1)	(2)
202	0.02	16	0.40
204	0.06	18	0.05
265/2	0.22	86	0.16
212	0.05	87	0.21
213/1	0.03	134	0.02
253/1	0.13	88	0.14
213/2	0.03	90	0.09
214	0.05	135	0.04
215	0.05	89	0.08
243	0.20	125	0.16
250	0.20	91	0.09
254	0.28	92	0.06
256	0.20	127	0.11
289	0.02	128	0.15
265/1	0.02	129	0.24
290	0.12	415	0.20
291	0.16	418	0.02
292	0.20	422/2	0.14
योग	30	421	0.10
	3.86	423	0.20
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरासी व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.		योग	20
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.			2.66
गरियाबंद, दिनांक 22 दिसम्बर 2020		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरासी व्यपवर्तन योजनांतर्गत शीर्ष निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.	
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.	

गरियाबंद, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

अनुसूची

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गरियाबंद
(ख) तहसील-छुरा
(ग) नगर/ग्राम-कोठीगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.54 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
226	0.40
227	0.14
योग	02
	0.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोठीगांव जलाशय योजनांतर्गत शीर्ष निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गरियाबंद
(ख) तहसील-छुरा
(ग) नगर/ग्राम-घोटपानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.73 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
655	0.10
656	0.45
659	0.06
700/1	0.12
योग	04
	0.73

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोठीगांव जलाशय योजनांतर्गत शीर्ष निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 22 दिसम्बर 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/वर्ष 2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गरियाबंद
(ख) तहसील-छुरा
(ग) नगर/ग्राम-मड़ेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.56 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
839	0.20
841	0.24
842/1	0.12
842/2	0.10
843/1	1.60
923	0.30
योग	06
	2.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोरासी व्यपवर्तन योजनांतर्गत शीर्ष/तटबंध निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेशकुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

क्रमांक/12391/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-हीरापुर, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.157 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
187/1	0.328
187/3	0.182
187/4	0.113
196/1	0.162
196/2	0.162
197/1	0.255
197/2	0.510
197/3	0.255
200	1.712
206/1	0.336
206/2, 206/4	0.332
206/3	0.304
218/1	0.263
218/4	0.243
योग	14
	5.157

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

क्रमांक/12393/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बिरहाभांठा, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	386/1	0.138
		387/1	0.251
2/9	0.012	388/1	0.077
2/6	0.012	388/2	0.069
2/15	0.004	391	0.085
2/7	0.004	392/2	0.032
2/8	0.024	392/5	0.032
30/3	0.012	394/3	0.057
30/4	0.012	394/1	0.061
योग	7	394/6	0.028
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैरोंज निर्माण हेतु.		394/2	0.028
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.		394/4	0.045
		397/1	0.069
		398/1	0.036
		398/2	0.036
		399/1	0.089
		400/2	0.057
जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2020		400/1	0.053
		402/1	0.028
क्रमांक/12395/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		402/2	0.028
		403	0.045
		404	0.036
		405	0.101
		406/1	0.049
		406/2	0.049
		407	0.121
		408/1	0.065
अनुसूची		408/2	0.020
(1) भूमि का वर्णन-		408/3	0.036
(क) जिला-जांजगीर-चांपा		408/4	0.040
(ख) तहसील-डभरा		415/1	0.142
(ग) नगर/ग्राम-भैंसामुहान, प.ह.नं. 39		415/2	0.053
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.585 हेक्टेयर		417/2	0.308
		425/1	0.093
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	योग	
(1)	(2)	38	2.585
386/2	0.032	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैरोंज निर्माण हेतु.	
386/4	0.032	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
386/3	0.032		
386/5	0.032		

जांजगीर-चांपा, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

(1)

(2)

क्रमांक/12397/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-पलसदा, प.ह.नं. 40

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.933 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

15/2

0.053

15/1

0.049

128/1

0.045

128/4

0.045

128/5

0.032

129

0.069

130/1

0.020

130/3

0.024

130/2

0.024

131/1

0.073

131/2

0.036

131/3

0.036

132/3

0.012

132/2

0.012

132/1

0.040

133/1

0.036

133/4

0.012

133/5

0.012

133/2

0.012

133/7

0.024

133/6

0.024

133/8

0.038

133/9

0.038

224/2

0.004

224/3

0.012

224/4

0.008

224/1

0.028

215

0.016

214/1क

0.008

214/1ख

0.008

214/2क

0.004

214/2ख

0.024

214/2ग

0.004

214/2घ

0.004

214/3क

0.028

214/3ख

0.028

214/4

0.016

213

0.036

212

0.032

211/1

0.028

211/2

0.028

210/1

0.008

151

0.008

154

0.036

155

0.008

156/1

0.020

137/1

0.081

137/2

0.085

138/2

0.004

139

0.004

141/1

0.012

141/2

0.024

142/1

0.045

142/2

0.016

142/3

0.016

147

0.028

148

0.040

149

0.040

150

0.020

235/1

0.008

229/2

0.008

229/1

0.008

230/1

0.016

230/2

0.016

227/2

0.028

227/1

0.032

226/1

0.008

226/2

0.008

225

0.032

156/2

0.020

157

0.028

158

0.081

159

0.093

161/1

0.101

(1)	(2)
161/2	0.049
161/3	0.053
162	0.166
163	0.101
173/2क	0.004
173/2ख	0.032
173/2ग	0.040
173/1क	0.121
173/1ख	0.012
172/2	0.036
174/2	0.020
174/3	0.162
179	0.049
193	0.008
194/1	0.008
194/2	0.004
194/3	0.004
योग	91 2.933

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैरोंज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी 2021

प्र. क्रमांक/790/12/अ-82/भू-अर्जन/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलादुला, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.367 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
158/4 (म.नं. 4)	0.194
124 (म.नं. 3)	0.024
136/1 (म.नं. 3)	0.105
137/3 (म.नं. 3)	0.020
137/4 (म.नं. 3)	0.012
137/1 (म.नं. 3)	0.012
योग	6 0.367

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरवानी सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जनवरी 2021

प्र. क्रमांक/792/13/अ-82/भू-अर्जन/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गुचकुलिया, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.847 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
305	0.081
306/7	0.036
315	0.012
314/1	0.065

(1)	(2)	अनुसूची	
314/2	0.008	(1) भूमि का वर्णन-	
312/3	0.012	(क) जिला-जांजगीर-चांपा	
313/5	0.020	(ख) तहसील-जैजैपुर	
313/4	0.032	(ग) नगर/ग्राम-परसदा, प.ह.नं. 34	
313/3	0.020	(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.120 हेक्टेयर	
313/2	0.077	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
313/1	0.012		
318	0.073	(1)	(2)
319	0.024		
323/2	0.073		
320/1	0.004	156/1	0.020
320/7	0.069	156/2	0.020
320/3	0.028	46/1	0.024
323/1	0.004	45/2	0.048
324/1	0.028	11/1	0.008
324/2	0.008		
325/2	0.012		
325/8	0.024		
325/3	0.032		
328/1	0.057		
331	0.004		
333, 334	0.004		
332	0.056		
योग	27	05	0.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करमनडीह सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 जनवरी 2021

प्र. क्रमांक/1181/16/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 जनवरी 2021

प्र. क्रमांक/1183/10/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प.ह.नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.407 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	624/2	0.040
		योग	07
			0.407
172/2	0.032	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हसौद वितरक नहर निर्माण हेतु.	
141/7	0.049		
141/12	0.032	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.	
143	0.101		
144/4	0.032	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
555/3	0.121	यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय कलेक्टर जिला बेमेतरा (छ.ग.)

बेमेतरा, दिनांक 23 दिसम्बर 2020

क्रमांक/6087/प्र. कले./2020.—श्री मिथुन कुंजाम पिता स्व. किसुनलाल कुंजाम पार्षद, वार्ड क्रमांक-07, नगर पंचायत देवकर तहसील साजा जिला बेमेतरा द्वारा श्रीमती जांजी साहू, अध्यक्ष नगर पंचायत देवकर के समक्ष अपने पिताजी के आकस्मिक निधन होने पर कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर के आदेश दिनांक 10-11-2020 के अनुसार कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा में भृत्य के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने के कारण अपनी स्वेच्छा से नगर पंचायत देवकर के वार्ड नं. 07 तहसील साजा जिला बेमेतरा के पार्षद पद से अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-40(2)(एक) के अधीन समाधान हो जाने पर श्री मिथुन कुंजाम पिता स्व. किसुनलाल कुंजाम द्वारा वार्ड क्रमांक-07 नगर पंचायत देवकर जिला बेमेतरा के पार्षद पद से प्रस्तुत त्याग-पत्र स्वीकार किया जाता है.

हस्ता./-
कलेक्टर.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 7 दिसम्बर 2020

उद्घोषणा पत्र

भू-अर्जन अधिनियम 1994 की धारा 20, 21, 22 के तहत लोक सूचना

राजस्व प्रकरण क्रमांक/089/अ-82/2017-18.—चूँकि निम्नांकित ग्राम जनकपुर, तहसील भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग. में स्थिति भूमि का कब्जा लेने का शासन का आशय है. और ऐसी भूमि को सारे हितों के लिये प्रतिकर की दावे से लिये जा सकते हैं. अतएव अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे स्वयं का अपने अभिकर्ता के साथ एवं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भानुप्रतापपुर में दिनांक 19-12-2020 दिन शनिवार को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भानुप्रतापपुर में प्रातः 11.00 बजे दिन गुरुवार को उपस्थित होकर भूमि पर अपने हक के संबंध में भूमि के माप के संबंध में तथा भूमि की प्रतिकर के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं. नियत अवधि के पश्चात् दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

क्र	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम	अर्जित की जा रही भूमि का विवरण			भूमि का प्रकार	अर्जित की जा रही भूमि रकबा में स्थित स्थाई परिसंपत्ति का विवरण	अर्जित की जा रही भूमि पर स्थित वृक्ष का विवरण	उद्देश्य के लिये भूमि ली जा रही है
				ख.नं०	रकबा हे. में	एकड़ में				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जनकपुर	भानुप्रतापपुर	अकालुराम, पिता गुहाराम सा. देह भूमि स्वामी	399	0.06	0.15 एकड़	घनहा	—	बांस गिर्रा-3	
2	जनकपुर	भानुप्रतापपुर	साधुराम पिता फागुराम, चमरीनबाई पति साधुराम सा. देह भूमि स्वामी	400/1	0.28	0.7 एकड़	घनहा	—	महुआ 2 नग चार 4 नग सेनहा 2 नग परसा 3 नग झाड़वा 1 नग	...
3	जनकपुर	भानुप्रतापपुर	बुरहाराय पिता फागुराम, बरलीबाई पति बुरहाराय सा. देह भूमि स्वामी	400/2	0.1	0.025 एकड़	घनहा	—	बांस गिर्रा 1 नग परसा 2 नग	
4	जनकपुर	भानुप्रतापपुर	बारसूराम पिता बिसराम सा. देह भूमि स्वामी	401	0.14	0.36 एकड़	घनहा	—	साजा 1 नग तैदू 1 नग महुआ 1 नग सेनहा 1 नग	
5	जनकपुर	भानुप्रतापपुर	मनीराम पिता नरनूराम, सुखनौन पति मनीराम सा. देह भूमि स्वामी	410	0.03	0.075 एकड़	घनहा	—	आम 1 नग चार 2 नग सेनहा 1 नग	

आज दिनांक 04-12-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया.

सही/-
अनुविभागीय अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2020

क्रमांक 165/दो-3-39/2007.—श्री गोकर्ण सिंह कुंजाम, न्यायाधीश परिवार न्यायालय, जशपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 20-08-2020 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
लेखाधिकारी.